

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की  
धारा - 4(1)ख(13)

मैनुअल संख्या - 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या  
प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की  
धारा-4(1) ख (XIII)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा किसी भी प्रकार की रियायत या अन्य विनिश्चय करने के कार्यक्रमों के निष्पादन पर फायदा या लाभ जनता को नहीं दिया जाता है व इस प्रकार का कोई भी बजट शासन से भी प्राप्त नहीं होता है।